मध्य प्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 12-15/2013/25-2/449 भोपाल,दिनांक 21/06/23

प्रति,

आयुक्त
जनजातीय कार्य,
म0प्र0भोपाल।

विषयः-अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की वार्षिक आय सीमा रूपये 6.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 8.00 लाख करने बावत्।

अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की वार्षिक आय सीमा रूपये 6.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 8.00 लाख किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय मांग संख्या 33 मुख्य शीर्ष 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछडे वर्गो का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 0103 अनुसूचित जाति उपयोजना (सब स्कीम)-9943-11वीं,12 वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति मद अंतर्गत विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 21 दिनांक 14 जून 2023 द्वारा दिये गये अनुमोदन के तहत जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

21/6/2023
(राजेश सिंह कौरव)
वित्तीय सलाहकार
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 12-15/2013/25-2/450 भोपाल,दिनांक 21/06/2023

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य विभाग ।

-2-

FAS/PAITHANKAR

5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम म.प्र. ग्वालियर।
6. आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल।
7. वित्तीय सलाहकार, म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य विभाग।
8. आईटी शाखा प्रभारी, कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य की ओर विभागीय बेव-सा पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

वित्तीय सलाहकार
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन

जनजातीय कार्य विभाग

मंत्रालय

क्रमांक/एफ- 12-15/2013/25-2/172 **भोपाल,दिनांक** 18/3/19

प्रति,

आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग,
मध्यप्रदेश

विषयः- महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति (योजना क्रमांक 2676) नियम ।

सन्दर्भः- 1. शासन पत्र क्र. एफ 12-64/98/25/2 दिनांक 5.6.1999
2. शासन पत्र क्र. एफ 12-42/98/25/2/2003 दिनांक 29 जुलाई 2003
3. शासन पत्र क्र. एफ 12-42/99/25/2 दिनांक 1.8.2003
4. शासन पत्र क्र. एफ 12-15/2013/25/2/2041 दिनांक 11.9.2013
5. शारान पत्र क्र. एफ 12-15/2013/25/2/209 दिनांक 7.2.2014
6. शासन पत्र क्र. एफ 12-15/2013/25/2/207 दिनांक 7.2.2014
7. शासन पत्र क्र. एफ 12-33/2013/25/2/228 दिनांक 12.2.2014
8. शासन पत्र क्र. एफ 12-15/2013/25/2/1761 दिनांक 2.12.2014

वर्ष 2018-19 शिक्षण सत्र में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए योजना का क्रियान्वयन Madhya Pradesh Tribal Affairs Automation System (MP-TAAS) के माध्यम से किया जाना है ।11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति (पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति) की योजना को MPTAAS के माध्यम से क्रियान्वयन करने हेतु निम्नानुसार नियम जारी किए जाते हैं :-

1 योजना का विवरण

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का उद्देश्य मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी

करने में समर्थ हो सकें। ये छात्रवृत्तियां मान्यता प्राप्त संस्थाओं के मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रम मे अध्ययन के लिए मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाती है । योजना अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार प्रवेश/पंजीकरण, शिक्षा, खेल, यूनियन, लायब्रेरी, पत्रिका,चिकित्सा जैसे अन्य अनिवार्य शुल्कों का भुगतान छात्रवृत्ति के रूप में किया जाएगा, जिन्हें छात्रों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय / बोर्ड को भुगतान किया जाता है, किन्तु इसमें वापिस की जाने वाली जमा राशि (Refundable) शामिल नहीं होगी । इस सम्बन्ध में शासन के आदेश क्रमांक F-12-28/2016/25-2/1847-48 दिनांक 20 दिसम्बर 16 की कंडिका-२ को निरस्त किया जाता है ।

2 पात्रता

2.1. आवेदक अनुसूचित जनजाति का हो।

2.2. आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी नागरिक हो।

2.3. आवेदक कक्षा 11वी, 12वी अथवा महाविद्यालयमेंप्रवेशितहो।

2.4. शासकीय संस्थाओं/भारत सरकार के मंत्रालय के अधीनस्थ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान में प्रवेशरत विद्यार्थियों हेतु आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है।

2.5. निजी विश्वविद्यालय/अशासकीय संस्थाओं में प्रवेशरत विद्यार्थियों के लिए आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम 6.00 लाख तक हो ।

3 अन्य छात्रवृत्ति लाभका विवरण

कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत अनुरक्षण भत्ता/ दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भत्ता/ शोध कार्य का टंकण/ मुद्रण शुल्क/ नियमानुसार विभिन्न पाठ्यक्रम में अध्यनरत विद्यार्थियों के लिए पुस्तक भत्ता तथा स्टडी टूर शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार शामिल है।

4 नोडल संस्था

नोडल संस्था से तात्पर्य वह शासकीय संस्था से है जो कि अशासकीय संस्थाओं में विद्यार्थियों के आवेदन के सत्यापन हेतु जिले स्तर से अधिकृत की गईहो।

नोडल संस्था द्वारा अशासकीय संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थी के पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन को ऑनलाईन पी.एम.एस. माड्यूल के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा.। सत्यापन के समय किसी विसंगति के होने पर नोडल संस्था विद्यार्थी को एक बार ऑनलाईन अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दे सकेगी। विसंगति के बाद भी यदि विद्यार्थी द्वारा विसंगती का निराकरण नहीं किया जाता है तो संस्था उसका आवेदन अमान्य कर सकेगी।

नोडल संस्थाओं की जानकारी :-प्रत्येक जिले के विभागीय जिलाधिकारी को कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त कर नोडल संस्थाओं की जानकारी मुख्यालय स्तर पर प्रेषित करनी होगी। मुख्यालय स्तर(आईटी टीम) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येकजिले के लॉग इन पर संबंधित नोडल संस्थाओं की सूची प्रदर्शित हो।

आशासकीयसंस्थाओं से नोडलसंस्थानकी मेपिंग की प्रक्रिया:-जिला अधिकारी के लॉग इन पर आशासकीय संस्थायो को नोडल से मेपिंग करने अथवा पूर्व से मेप्ड संस्था को अनमेप्ड करने की सुविधा MP TAAS के PMS Module में दी गई है ।

5 MPTAAS में संस्था, पाठ्यक्रम, फीस तथा प्रवेश (एडमिशन/enrollment) डाटा की जानकारी

5.1. सभी लाईन डिपार्टमेन्टस जिनके अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक शैक्षणिक संस्थान संचालित है वह MPTAAS User Onboarding माड्यूल में रजिस्टर्ड होंगे और उन्हें विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये यूजर आई.डी/ पासवर्ड. से प्रतिवर्ष मान्यता प्राप्त संस्था, मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों तथा उनकी फीस अपडेट करनी होगी। जिन पाठ्यक्रमों की फीस AFRC अथवा MP PURC द्वारा

निर्धारित की जाती है, उनकी फीस की एन्ट्रीAFRC/ MPPURC द्वारा की जाएगी।पी.एम.एस. माड्यूल में, प्रत्येक वर्ष, सभी विभागों के अन्तर्गत संस्थाओ तथा निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रवेश/Enrollments एवं उनके परीक्षा परिणाम का डाटा यूनिवर्सिटी/विभागीय server से MPTAAS server में(server-to-serverdata push के माध्यम से)प्राप्त की जा सकेगी।

5.2. MPTAAS अन्तर्गत फीस की दरों का निर्धारण

5.2.1 नॉन रिफन्डेबल फीस

क्रं	संस्था का प्रकार	फीस निर्धारण संस्था
1.	शासकीय/ स्वशासी/ शासकीय वित्त पोषित	सम्बंधित विभाग द्वारा अधिकृत समिति/ वर्तमान प्रचलित नियमानुसार
2.	अशासकीय व्यावसायिक पाठ्यक्रमो हेतु	AFRC द्वारा अनुमोदित दर अनुसार
3.	निजी विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रम हेतु	MP PURC द्वारा अनुमोदित दर अनुसार
4.	अन्य अशासकीय संस्थाओ के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु जिनकी दरें AFRC द्वारा निर्धारित नहीं होती(आय सीमा 2.5 lakhs तक)	सम्बंधित पाठ्यक्रमों हेतु शासकीय संस्थाओ का न्यूनतम
5.	अन्य अशासकीय संस्थाओ के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु जिनकी दरें AFRC द्वारा निर्धारित नहीं होती-(आय सीमा 2.5 lakhs-6lakhs तक)	संबंधित पाठ्यक्रम में शासकीय संस्थानों में निर्धारित न्यूनतम शिक्षण शुल्क का आधा
6.	भारत सरकार के मंत्रालय के अधीनस्थ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान	वास्तविक non-refundable फीस

क्रं	संस्था का प्रकार	फीस निर्धारण संस्था
7.	प्रदेश के बाहर की शासकीय संस्थान	वास्तविक non-refundable फीस
8.	प्रदेश के बाहर की अशासकीय संस्थान (गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रम-आय सीमा 2.5 lakhs तक)	मध्यप्रदेश में विद्यार्थी के मूल निवास के जिले के शासकीय संस्थान में संबंधित पाठ्यक्रम कीन्यूनतम दर
9.	प्रदेश के बाहर की अशासकीय संस्थान(गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रम-आय सीमा 2.5 lakhs-6 lakhs तक)	मध्यप्रदेशमें विद्यार्थी के मूल निवास के जिले के शासकीय संस्थान में संबंधित पाठ्यक्रम की न्यूनतम दर का आधा
10.	प्रदेश के बाहर की अशासकीय संस्थान(व्यावसायिकपाठ्यक्रम)	मध्यप्रदेश में संबंधित पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम AFRC दर
11.	शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओ में डी.एल.एड पाठ्यक्रम हेतु	स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दर अनुसार

5.2.1. निर्वाह भत्ताएवं अन्य छात्रवृत्ति लाभ का विवरण

5.2.2.1. शासकीय संस्थाओ एवं अशासकीय संस्थाओंमें रूपए 2.50 लाख तक की आय सीमा के विद्यार्थियों को ही निर्वाह भत्ता एवं अन्य छात्रवृत्ति लाभ की पात्रता नियमानुसार होगी ।

5.2.2.2. भारत सरकार के मंत्रालय के अधिनस्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान में आय सीमा 2.5 लाख तक के विद्यार्थी को ही निर्वाह भत्ता एवं अन्य छात्रवृत्ति लाभ के अतिरिक्त लाभ जैसे हॉस्टल/मेस का वास्तविक भुगतान किया जायेगा।

6 छात्रवृत्ति हेतु आवेदन

विद्यार्थी को सर्वप्रथम विभागीय वेबसाइट https:/ /www. tribal. mp. gov.in/mptaas/Userprofile/Indexपर अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा । रजिस्ट्रेशन के पश्चात् प्राप्त यूजर आईडी / पासवर्ड से विद्यार्थी को login करके PMS Module Web अथवा Mobile App के माध्यम से आवेदन करना होगा । विद्यार्थी स्कालरशिप एवं अन्य लाभ हेतु आवेदन कर सकेगा | PMS module की हैंडबुक (users manual) विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगी ।

7 आवेदन उपरांत सत्यापन की प्रक्रिया

सत्यापनकर्ता अपने लोगिन से आवेदन को सत्यापित कर अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेंगे ।

विभिन्न प्रकार की संस्थानों के लिये सत्यापनकर्ता निम्नानुसार रहेंगे :-

संस्था का प्रकार	**सत्यापनकर्ता**
राज्य के अंदरशासकीय	MPTAAS सिस्टम द्वारा स्वतः सत्यापित हो जायेगा (system verified)
राज्य के अंदरअशासकीय	शासकीय नोडल संस्था के प्राचार्य द्वारा
मध्यप्रदेश के बाहर स्थित संस्थाओं हेतु	विभागीय सहायक संचालक/ छात्रवृत्ति प्रभारी अधिकारी

8 सत्यापन उपरान्त अनुमोदन

सत्यापन के पश्चात् विभागीय जिलाधिकारी अर्थात् सहायक आयुक्त अथवा जिला संयोजक के लॉग इन पर अनुमोदन हेतु आवेदन प्रदर्शित होंगे । जिलाधिकारी आवेदन को अनुमोदित कर सकेगा ।

9 स्वीकृति

अनुमोदन उपरान्त भुगतान पूर्व स्वीकृति आदेश सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक द्वारा MPTAAS के पेमेंट माड्यूल से अपने लोगिन से जारी किया जायेगा। Payment module में स्वीकृति आदेश बनाते समय स्वीकृतकर्ता अधिकारी को लाभार्थी के आधार linked खाते की जानकारी "NPCI Status" कॉलम में प्रदर्शित होगी जिसमें कि-

9.1. "ACTIVE" का अर्थ होगा कि लाभार्थी का बैंक खाता वर्तमान में आधार linked है।

9.2. "INACTIVE" का अर्थ होगा कि लाभार्थी का बैंक खाता वर्तमान में आधार linked नहीं है।

9.3. लाभार्थी के खाते में सफल भुगतान हेतु "ACTIVE" status का ही स्वीकृति आदेश generate होगा । "INACTIVE" status का स्वीकृति आदेश generateनहीं होगा । System द्वारा समय समय पर "INACTIVE status" के लाभार्थियों को बैंक खाता आधार से linked कराने हेतु SMS/अलर्ट भेजा जायेगा । जिलास्तरीय अधिकारियो की भी यह जिम्मेदारी होगी कि वो "INACTIVE status" वाले लाभार्थियों से संपर्क करके अनिवार्य रूप से उनका आधार बैंक खाते से linked करायें।

10 स्वीकृति उपरांत भुगतान

स्वीकृति उपरांत स्वीकृति आदेश हेडऑफिस में BCO (अपर संचालक वित्त/ संयुक्त संचालक वित्त) के login पर दर्शित होंगे जिसका भुगतान, payment module से जारी कर विद्यार्थी के आधार से लिंक बैंक खाते में किया जायेगा ।

11 असफल भुगतान

Payment Failure की स्थिति में BCO-L2 द्वारा failed transactions (जिन आवेदकों का बैंक द्वारा तकनीकी कारणों से सफल भुगतान नहीं होपाया है), के payment order पुनः पूर्व से जारी sanction order से ही generate होंगे।

सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, उनके द्वारा जारी किये गए स्वीकृति आदेश में सम्मिलित प्रत्येक आवेदककर्ता के payment status (success or fail) को system में निरंतर देख सकेंगे ।

12 पूर्व में जारी निर्देश

पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप हेतु राज्य स्तर से पूर्व में जारी निर्देशों और इस परिपत्र के निर्देशों में भिन्नता है तो इस परिपत्र के निर्देश ही आगामी आदेश तक प्रभावशील होंगे ।

Deepali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
जनजातीय कार्य विभाग
म.प्र.

पृ.क्रमांक/एफ- 12-15/2013/25-2/173 भोपाल,दिनांक 12/3/19

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र.
2. समस्त संबंधित विभागाध्यक्ष
   .....मध्यप्रदेश की ओर
   सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. समस्त कलेक्टर्स मध्यप्रदेश ।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
5. समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश ।
6. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र.।
7. आई.टी. सेल मुख्यालय जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश ।

प्रमुख सचिव
जनजातीय कार्य विभाग
म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 12-18/2017/25-2/32 भोपाल, दिनांक 08/01/18

प्रति,

आयुक्त
आदिवासी विकास
म0प्र0 भोपाल

विषयः-छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन योजना क्रमांक 2676 की प्रशासकीय स्वीकृति बावत्।

संदर्भः-आपकी यू0ओ0टीप क्रमांक 14309 दिनांक 27/06/2017.

मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 2 दिनांक 20 दिसम्बर 2017 द्वारा अनुमोदन अनुसार "छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन" को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन एवं वित्तीय आकार केन्द्रांश राशि रूपये 43985.31 लाख (रूपये चार सौ उन्चालीस करोड पच्यासी लाख इक्तीस हजार मात्र) एवं राज्यांश राशि रूपये 14661.76 लाख (रूपये एक सौ छियालीस करोड़ इकसाठ लाख छिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। विद्यमान योजना के स्वरूप एवं उसके विस्तार की समीक्षा की जावे।

2. योजना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी जाती हैं:-

- योजना का नाम पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के स्थान पर "छात्रवृत्ति कक्षा 11 वीं ,12 वीं एंव महाविद्यालयीन" बजट में किया जावे।
- अशासकीय संस्थानों के पाठ्यक्रमों के लिए "प्रवेश एवं फीस नियामक समिति" एवं निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग" द्वारा फीस निर्धारित की गयी है उनके शुल्क की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की वार्षिक आय सीमा रूपये 3.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 6.00 लाख की जाती है। भारत सरकार द्वारा वार्षिक आय सीमा रूपये 2.50 लाख तक का व्यय भार वहन किया जायेगा । वार्षिक आय सीमा रूपये 2.50 से अधिक रूपये 6.00 लाख तक का व्यय भार राज्य मद से किया जावे।
- माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा क्रमांक बी 1694 अनुसार कक्षा 01 से पी.एच.डी. तक शासकीय एवं शासकीय स्ववित्त पोषी शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षण दी जाना है। घोषणा के आधार पर "छात्रवृत्ति- कक्षा 11वीं, 12वीं एवं

महाविद्यालयीन" योजना अंतर्गत अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वग विद्यार्थियों की आय सीमा का बंधन समाप्त किया जावे ।

- वर्तमान में समूह 01 के छात्रावासी विद्यार्थियों को निर्वाह भत्ता के रूप म भारत सरकार से रूपये 1200/- प्रति माह प्रति विद्यार्थी प्राप्त हो रहा है जिस वृद्धि कर राज्यांश मद से रूपये 300/- अतिरिक्त अर्थात कुल रूपये 1500/- प्रति माह 10 माह के लिये किया जावे।

3. उक्त व्यय मांग संख्या 33 मुख्य शीर्ष 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 0102 अनुसूचित जनजाति उप योजना (सबस्कीम) 2676 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियॉ 41 छात्रवृत्तियॉ एवं वृत्तियॉ 002 छात्रवृत्ति एवं मांग संख्या 33 मुख्य शीर्ष 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो व कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 0802 केन्द्र क्षेत्र योजन अनुसूचित जनजाति उप योजना (सबस्कीम) 2676 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियॉ 4 छात्रवृत्तियॉ एवं वृत्तियॉ 002 छात्रवृत्ति मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

5. यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5(ए)1/2013/ई/चार, दिनां 10 अप्रैल 2015 द्वारा वित्तीय सलाहकार को पृष्ठांकन के प्रदत्त अधिकार के तह यू0ओ0क्रमांक 369/2017/एफएएस/25 दिनांक 08/01/2018 द्वारा दी गई सहमति तहत जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(महेन्द्रपाल सिंह निरंजन)
वित्तीय सलाहकार
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग
भोपाल,दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 12-18/2017/25-2

1. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जा कल्याण विभाग।
2. प्रमुख सचिव(समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य विभाग ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग ।
5 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम म.प्र. ग्वालियर।

-3-

FAS/PAITHANKAR

6. आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल।
7. वित्तीय सलाहकार, म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य विभाग।
8. कम्प्यूटर शाखा प्रभारी, कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास की ओर विभागीय बेव-साइट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सही/-
वित्तीय सलाहकार
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

FAS/PAITHANKAR